

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**  
**पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर**

दो वर्ष हेतु सुदाना, कॉफ स्टार्टर, फाडर  
ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन हेतु  
**ई-निविदा**  
**दिनांक**

**22-08-2019**

(इकाई-भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल)

पचामा दूरभाष क्र0 07562-221135

E- Mail : cff.pachama@gmail.com

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**  
**पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर**

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

**सुदाना परिवहन**

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	31.07.19/17:30
2	Purchase of Tender End Date	20.08.19/11:00
3	Bid Submission End Date	20.08.19/12:00
4	Technical Bid Open Date	21.08.19/12:00
5	Financial Bid Open Date	22.08.19/12:00

- निविदा खोलने का स्थान** :— भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल (म.प्र.)
- निविदा प्रपत्र की कीमत** :— रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।
- अमानत राशि** :— रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) आनलाईन जमा करना अनिवार्य है
- प्रतिभूति राशि** :— रुपये 300000/- (रुपये तीन लाख मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED FACTORY PACHAMA** के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

**नोट :—** शर्त क्र0 10 अनुसार मांगे गये दस्तावेज निविदा दिनांक को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक

## पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर,

### —: पशु आहार परिवहन की शर्तें :—

1. पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से आनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र पचामा से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें “रूपये प्रति मैट्रिक टन” (One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र पचामा के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।
5. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र पचामा के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जायेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जायेगा। यदि गाड़ी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।
7. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दूरभाष पर निर्देश प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। पालन नहीं किये जाने पर परिवहनकर्ता पर रु 1000/- (रु 1000 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड किया जायेगा।
8. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुंचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुंचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

9. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुंच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
10. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के तीन वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक को समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।
11. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाढ़ी) अच्छी हालत में होना चाहिये पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
12. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबावदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
14. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, कॉफ स्टार्टर/मिनरल मिक्सचर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
15. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों से पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवृहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
17. परिवहन कर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र पचामा सीहोर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन ओपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समर्त करो का कटौत्रा कर किया जावेगा, जिसमें सेवा एवं स्वच्छता कर शामिल होगा।
18. अनुबंध की अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।
19. उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

20. पशु आहार संयंत्रं गोदाम से वाहन तक पशु आहार लाने की व्यवस्था संयंत्र स्तर से की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहनकर्ता द्वारा संघ की अनुमोदित दर के आधार पर किया जावेगा। इसके पश्चात् वाहन लोडिंग कर, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग कर गोदाम में निर्धारित स्थान पर जमाने की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी तथा इसका व्यय भी परिवहनकर्ता द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसका किसी भी दशा में भुगतान संघ/बी.एम.सी./समिति द्वारा नहीं किया नहीं जावेगा।
21. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।
22. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।
23. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।
24. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
25. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) का डीडी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र पचामा के नाम से जमा करना आवश्यक होगा।
26. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रतिभूति राशि रूपये 3,00,000/-होगी। जिसमें से रूपये 50000/- अमानत राशि समायोजित कर शेष रूपये 250000/- संस्था में डीडी द्वारा जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व में या जिन ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है, उन्हें अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी, पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जावेगी।
27. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
28. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यालय नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म “भारतीय भागीदार अधिनियम” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
29. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

30. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मैटन एवं 4.5 मैटन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

<u>क्रमांक</u>	<u>वाहन का प्रकार</u>	<u>औसत प्रति लीटर</u>
01	ट्रक,	04 कि.मी
02	407 एल.पी.टी.	08 कि.मी

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

31. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
32. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता के देयकों से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधारपर कटौत्रा किया जावेगा।
33. परिवहनकर्ता के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा जीएसटी इत्यादि अन्य करों आदि का कटौत्रा किया जावेगा।
34. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर-ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
35. पशु आहार, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात ही विषयन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
36. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।
37. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जबाबदार होगा। समस्त अदालती विवाद भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या. भोपाल

पशु आहार संयंत्र पचामा से दरें देवें

दुग्ध शीत केन्द्रों/बी.एम.सी. की सूची

क्र०	दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध संस्था	अनुमानित दूरी (कि०मी०)	प्रति मै०टन दर	
			6 मे.टन परिवहन हेतु	16 मे.टन परिवहन हेतु
1	आमलारामजीपुरा	22		
2	आगखेड़ी	65		
3	आलनिया	80		
4	अकलपुर बिन्दी	70		
5	अरन्याकंला	85		
6	आलनिया	80		
7	अमलावती	84		
8	अमलाह	27		
9	अमलाय पत्थर	58		
10	आवली खेड़ा	96		
11	बोड़ा	105		
12	बगड़ावदा	62		
13	भैसायागढ़ा	76		
14	भैसायानागिन	60		
15	बेहराबल	62		
16	भीलखेड़ा	55		
17	भूरियाखजूरिया	62		
18	बड़बेली	94		
19	बेरछादातार	65		
20	ब्रिजिशनगर	39		
21	बिछोली	30		
22	भणडेली	26		
23	बमूलियाबड़ा	21		
24	बिशनखेड़ा	82		
25	बढ़नगर	40		
26	बरनावद	95		
27	बदनाखेड़ी	70		

28	भाटनी	125		
29	बडोदिया तालाब	70		
30	बटवारी	95		
31	बमूलियामैना	80		
32	बाबडियामैना	80		
33	बरोडी	75		
34	बालापुरा	40		
35	बांकाखेड़ी	95		
36	बाउडीखेड़ा	63		
37	बमूलिया मुछाली	65		
38	बरखेड़ी राम	97		
39	बेरसिया	78		
40	बहराबल (सांची)	95		
41	बाकसी (सांची)	96		
42	बोलदा	84		
43	बारबांकला	112		
44	बकानी	112		
45	बनखेड़ा	47		
46	चाकरोद	70		
47	चारखेड़ी	55		
48	चापडिया	95		
49	छोटामोल्टा	95		
50	चितावलिया लाखा	22		
51	छतरपुरा	65		
52	धोलपुर	55		
53	ढाबलाधीर	50		
54	दूबड़ी	52		
55	ढाबला हुसैनपुर	56		
56	ढाबलाधोसी	64		
57	ढाबलामाता	35		
58	धामनखेड़ा	50		
59	धामन्दा	70		
60	धनखेड़ी	28		
61	डाडियाखेड़ी	38		
62	फरड	75		
63	फन्दा	8		

64	गाथला	110		
65	गणेशपुर	76		
66	घटटी	60		
67	जाबड़िया भील	65		
68	जामनेर	70		
69	गैरखेड़ी	117		
70	गोलूखेड़ी	70		
71	गरेठिया	97		
72	गनियारी	120		
73	गोकुलपुरा	150		
74	गड़ीनिपानिया	115		
75	गिराना	98		
76	गुड़पीपली	68		
77	गुड़मेला	12		
78	गुरदाखेड़ी	58		
79	गुठानपुरा	75		
80	हुगली	70		
81	हरसूखेड़ी	44		
82	हड्लायखुर्द	78		
83	हीरापुर	32		
84	इमलीखेड़ा	60		
85	इचीबाड़ा	95		
86	झाड़पीपल्या	112		
87	झालकी	40		
88	करवा	110		
89	करौंदी	150		
90	कल्याणपुर	127		
91	करनवास	125		
92	काहरीजदीद	58		
93	खरदौनकंला	74		
94	खोकराकंला	70		
95	कोहड़ी	65		
96	कालापीपल	70		
97	कोठरी नं.2	90		
98	कांकरखेड़ा	52		
99	खेड़ावद	110		

100	खामखेड़ा	60		
101	कन्नोज मिर्जी	72		
102	कांकरिया	70		
103	कुलासकंला	52		
104	खजूरीअलादाद	70		
105	खरसौदा	100		
106	किल्होर	95		
107	काहरीकदिम	35		
108	कचनारिया	27		
109	कचनारिया (सेमली)	38		
110	खजुरीया जावर	65		
111	कुशलपुरा	42		
112	कल्याणपुरा	48		
113	खजूरिया खुर्द	36		
114	खाई खैड़ा	36		
115	कोरिया जरगर	142		
116	खातीखेड़ी	81		
117	लसूड़िया पातला	76		
118	लसूड़िया गौरी	58		
119	लाहरखेड़ा	120		
120	लसूड़ियामलक	50		
121	लसूड़ीयाखास(आष्टा)	44		
122	लसूड़ीयाखास(सीहोर)	20		
123	लालाखेड़ी शुजालपुर	70		
124	लसूड़िया परिहार	30		
125	लंगरपुर	95		
126	लसूड़िया कांगर	48		
127	मोहम्मदपुर	55		
128	मऊ	135		
129	मोर्चाखेड़ी	105		
130	मन्साया	60		
131	मूगोद	80		
132	मंगलाज	110		
133	मालीखेड़ी	60		
134	मुंगावली	40		
135	मोतीपुरा	70		

136	मानपुरा	52		
137	नांदनी	70		
138	नाहरिया	95		
139	नरेला	48		
140	निशाना	95		
141	नितरनी	95		
142	निपानियाकंला	18		
143	निपानिया चेतन	70		
144	नीमखेड़ा	97		
145	नन्दगाँव	78		
146	नरसिंह खेड़ा	34		
147	नसिर पुर	97		
148	पड़ाना	140		
149	परसुलिया	112		
150	पुनरखेड़ी	125		
151	पारदाखेड़ी	50		
152	पटलावदा	70		
153	पिपलोदा	150		
154	पंचदेहरिया	74		
155	पलसावद	95		
156	पिपलियारसोडा	125		
157	पोलायखुर्द	95		
158	पोचानेर	42		
159	पटेलपुरा	70		
160	पचामा गाँव	3		
161	पीपलियानगर	38		
162	पानी खेड़ी	96		
163	रायपुरिया	135		
164	रामपुरा	55		
165	रामपुरा(बरनावदा)	80		
166	रोसला	60		
167	रायपुर	70		
168	रोला	20		
169	रामदासी	40		
170	सेमलीजदीद	60		
171	सेमली (कचनारिया)	30		

172	सुकली	112		
173	सोनकच्छ	90		
174	शेरपुरा	70		
175	सिलोदा	54		
176	सुनगा जोड़	95		
177	शुक्ला ग्राम	95		
178	शैखपुरा	70		
179	शिकारपुर	55		
180	सादनखेड़ी	65		
181	शिवपुरा	95		
182	सेमलीकला	31		
183	सेवनीया	17		
184	सेमला दॉगी	28		
185	सिकन्दरपुरा	41		
186	सीलखेड़ा	42		
187	तिन्दोनिया	70		
188	टिकोद	145		
189	तिलावद	84		
190	ताजपुरा	110		
191	टिटवास	70		
192	ताजपुरउकाला	71		
193	तकीपुर	8		
194	उदनखेड़ी	125		
195	उमरखाल	40		
196	वुडलाय	98		
197	पचपीपलीया	22		
198	टीलीयाखेड़ी	75		
199	रामखेड़ी(सीहोर)	30		
200	रोलाखेड़ी	32		
201	मादलाखेड़ी	55		
202	काकूखेड़ी	40		
203	तोरनीया	28		
204	मुड़लाखुर्द	32		
205	पाड़लिया	45		
206	ताजीपुरा	68		
207	पदमसी	54		

208	सिन्दूरिया	128		
209	कुरावर	44		
210	बिजौरी	8		
211	प्रतापपुरा	72		
212	करंजखेड़ा	32		
213	सेमलिया	42		
214	लिलाझर	307		
215	डुडरिया	300		
216	कुचवा	289		
217	मोरखा	295		
218	तरोडाकलॉ	292		
219	खजरी	303		
220	हरन्या	297		
221	राजेगांव	290		
222	दूराबोरगांव	282		
223	बरई	277		
224	चंदारोखुर्द	272		
225	चिलहाटी	295		
226	चिचन्डा	277		
227	हतनापुर	275		
228	झरखेड़ा	60		
229	भंवरा	60		
230	अरनियाराम	56		
231	खरदोन खुर्द	65		
232	करदई	97		
233	सगोदरा	97		
234	रमाहा	98		
235	कड़इयाकला	98		
236	जमोनिया फतेहपुर	35		
237	महिला ललोती	88		
238	निपानिया खंजर	70		
239	मेगराकला	98		
240	जमोनिया जोहर	106		
241	जमोनिया गोप चौहान	102		
242	चायनी	42		
243	थाँदेर	97		

244	बकायन	96		
245	सलेया	98		
246	कमालपुर	70		
247	रामडी	70		
248	हाजीपुर	70		
249	झुन्डी	70		
250	महुखेड़ा	65		
251	बांसीया	65		
252	मोगराराम	30		
253	खेड़ली	30		
254	नयापुरानांदनी	40		
255	थूना	3		
256	बारवाखेड़ी	30		
257	रामाखेड़ी	30		
258	जमोनियागणेश	108		
259	रनायल	40		
260	महिला तिलावद	86		
261	जाकाखेड़ी	40		
262	बैरागढ़गणेश	40		
263	गुलखेड़ी	40		
264	नयापुरामोलूखेड़ी	45		
265	रफीकगंज	22		
266	खेड़ी भुपोड़	65		
267	खड़ीहाट	65		
268	बमुलिया रायमल	65		
269	मुल्लानी	25		
270	नापला खेड़ी	18		
271	बरखेड़ी	25		
272	छापरी	70		
273	बौरखेड़ा	70		
274	मूडलामैना	80		
275	पीपलखेड़ा	88		
276	भैसाखेड़ी	25		
277	कनेरिया	39		
278	महुआखेड़ा	41		
279	नातराखेड़ी	41		

280	सिराडी सीहोर	25		
281	शाहपुरकोडिया	17		
282	आजादनगर	70		
283	खेरखेड़ी	70		
284	जानपुरबाबड़ीया	20		
285	छापरी दोराहा	40		
286	चितावलीयाहेमा	22		
287	नौनीखेड़ी	25		
288	जंगीखेड़ी	90		
289	रुनाहा	95		
290	बिजोरी आष्टा	60		
291	वांदीखेड़ी	95		
292	महिला भटोनी	20		
293	गुराड़ी	39		
294	गालवी	74		
295	रीछड़ी	60		
296	फ्रीगंज	28		
297	महिला शोभाखेड़ी	60		
298	पीपल्वेठाकूर	128		
299	किलखेड़ा	128		
300	अमलार	145		
301	जताखेड़ा	20		
302	नानाखेड़ी	82		
303	जोडक्या	120		
304	महिलापीपलहेला	120		
305	सांडाहैड़ी	120		
306	महिला भूरा	120		
307	खुरी	120		
308	लसूडीयागर्जर	120		
309	गादिया	120		
310	छापर	54		
311	पसइया	95		
312	भटोनी	72		
313	हबीबगंज सरखंडी	95		
314	निदानपुर	95		
315	खजुरियारामदास	95		

316	इमलीयानरेन्द्र	95		
317	बरखेडाकला	95		
318	रमगढा	95		
319	बरखेडी देव	95		
320	पीपाखेडी	95		
321	आन्दीखेडी	70		
322	महिलाकालापीपल	70		
323	दसीला	85		
324	नेतापुरा	85		
325	हुड़ा	90		
326	धुतखेडी	90		
327	मजीदगढ	90		
328	भेरूपुरा	90		
329	गोडियासनखेडा	90		
330	अरनीयाकांकड	90		
331	कोटरा	90		
332	खेजडा	60		
333	झिरनीयाकांकड	90		
334	मिठी छापरी	90		
335	नांदनी	20		
336	कोडीया	20		
337	इन्द्रपुरा	95		
338	सुन्दरहैडा	120		
339	खासपुरा	95		
340	जमोनीयाटैक	20		
341	कालापीपल जागीर	30		
342	तज	20		
343	देवली	20		
344	गंगापुरा	90		
345	ललौई	90		
346	कढैयाचवंर	90		
347	इमलीयास्वरूप	90		
348	पिपलियाधाकड	25		
349	बरखेडाहसन	45		
350	खुरानीया	32		
351	नईचन्देरी	30		

352	भोजनगर	25		
353	मूडला भोपाल	30		
354	बरखेडासालम	30		
355	शंकरपुरा	90		
356	एमनाखेडी	90		
357	खजुरीयाकला विदीशा	90		
358	बरखेडादेवा	45		
359	बगराज	90		
360	पातालपुर	90		
361	शेषापुरा	90		
362	ठीकरीयाबरामद	90		
363	नसीरपुर	90		
364	मुरली	3		
365	देवलखेड़ा	95		
366	रासलाखेडी	41		
367	छापरीकला	20		
368	खाकरातैजा	120		
369	कचनारीयाव्यावरा	120		
370	वेदारनगर	90		
371	सलसलाई	95		
372	निवारीया श्यामपुर	48		
373	हर्राखेड़ा	95		
374	बडबेली सीहोर	20		
375	पीपलीयामीरा	20		
376	गेरुखान	20		
377	कादीखेड़ी	95		
378	रजपुरा	95		
379	आमला महिला	25		
380	चैनपुरा	30		
381	बोरसाली	95		
382	अरनीयासुल्तानपुर	40		
383	अजनई	80		
384	फुलेन	80		
385	वल्दीपुरा	95		
386	सुराना	80		
387	खेजडा नजीराबाद	80		

388	चौड़ी	20		
389	पचोंला	72		
390	दौलतपुरा	70		
391	पीपलीयातवा	145		
392	मण्डावर	120		
393	बिजलौन	50		
394	रानीबडौद	80		
395	महिलाउकाय	80		
396	भैसाना	95		
397	लालपुर	95		
398	महिला पौचानेर	42		
399	लसूड़ीयारामनाथ	45		
400	कथेरी	45		
401	धनखेड़ी	45		
402	गीलाखेड़ी	45		
403	महिला कुरावर	45		
404	खजुरीयाकला सीहोर	30		
405	खारपा	25		
406	बौरखेड़ी	25		
407	देहरिया	25		
408	सरखेड़ा	32		
409	हनुमन्तखेड़ा	70		
410	सेमराजागीर	95		
411	बुडनपुर	100		
412	दीदाखेड़ी	20		
413	देवीनगर	90		
414	दामखेड़ा	90		
415	सेमराकला	90		
416	थूनाखुर्द	20		
417	भोपाल	39		
418	आमलारोड	150		
419	आशारेटा पंवार	150		
420	अरणिया	100		
421	अकोदिया	80		
422	भण्डावद	135		
423	भीलवाड़िया	125		

424	भाटखेड़ी	125		
425	बोरदीकंला	35		
426	बिलकिसगंज	27		
427	बैरागढ़ खुमान	40		
428	भाऊखेड़ी	23		
429	चिड़लावनिया	145		
430	चान्दबड़ जागीर	55		
431	ढाबला केलवाडी	40		
432	दिवड़िया	41		
433	जामली	37		
434	इछावर	25		
435	कांकरवाल	95		
436	कोड़िया	16		
437	खोखरिया	15		
438	कुलासखुर्द	26		
439	कादमपुर	30		
440	खजूरीसड़क	15		
441	खजूरिया	105		
442	मुगालियाहाट	70		
443	मुहाली	45		
444	निवारिया	42		
445	नयापुरा	33		
446	रादानपुरा	76		
447	सोढ़ी	40		
448	सिदौड़ा	97		
449	तिनोनिया	42		
450	टिटोरा	30		
451	उलझावन	26		
452	सिराड़ी	42		
453	पालखेड़ी	25		
454	झमलिया	96		
455	बिजोरा	30		
456	उगली	50		
457	मूड़ला	25		
458	मोहनपुरलैण्डी	30		
459	मगरखेड़ा	25		

460	मंगलगड बैरसीया	90		
461	मैनापुरा बैरसीया	97		
462	बरखेडी व्यावरा	128		
463	नालबंदी व्यावरा	128		
464	रतनपुर	20		
465	अतरालिया व्यावरा	128		
466	कोलूखेडी व्यावरा	128		
467	सोड़ा	20		
468	कादराबाद	30		
469	जागलियापुरा बैरसीया	110		
470	डंगरोली बैरसीया	110		
471	लहारपुर बैरसीया	100		
472	झिरनीयाकला बैरसीया	100		
473	सेवदा	65		
474	गुनगा बैरसीया	110		
475	भुनगाई बैरसीया	110		
476	निपानीया जाट बैरसीया	110		
477	ईमलीया बैरसीया	100		
478	श्यामपुर	35		
479	अतरालिया सीहोर	35		
480	रमाह खेजडा बैरसीया	110		
481	कढैया ब्राम्हण बैरसीया	110		
482	हिनोती	65		
483	छत्तरी	65		
484	दुपाड़ीयादांगी	30		
485	भान्याखेडी	65		
486	खूटियाखेडी	30		
487	जाजनखेडी सीहोर	35		
488	सेमली खुर्द	35		
489	आमला बांद्रा बैतूल	290		
490	अर्रावती बैरसीया	110		
491	महुआखेड़ा बैरसीया	1110		
492	बांसीया बैरसीया	110		
493	फूटी बाबडी बिजोरी	25		
494	सतोरनिया	30		
495	पडली	22		

496	खेजड़ा मीरा व्यावरा	120		
497	ढकोरा व्यावरा	120		
498	कतपौन	60		
499	महिला माना	60		
500	महोली	110		
501	बारब्ही बैतूल	290		
502	तारा सेवनीया	78		
503	पीपलनेर	25		
504	पुरुष चांदबड़	25		
505	निपानीयाखुर्द	25		
506	खेड़ली बैरसीया	120		
507	डेंडी	25		
508	पाटनीया	20		
509	उन्दरई बैरसीया	120		
510	सेमरा भेरोपुरा बैरसीया	120		
511	कढ़ेया गांव बैरसीया	120		
512	विजावनकला बैरसीया	120		
513	चिल्कापुर बैतूल	290		
514	बड़ली बैरसीया	120		
515	मलकारी बैरसीया	120		
516	भंवरदा बैरसीया	120		
517	लूलाखाल कुरावर	90		
518	खाईखेड़ा बैरसीया	127		
519	पुराखाना	127		
520	खेजड़ा परिहार	127		
521	अरईया रायसेन	120		
522	जेतली	30		

**पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर**  
**इकाई: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**

अनुलग्नक – द.

पशु आहार संयंत्र पचामा /दुग्ध समितियों एवं शासकीय संस्थाओं हेतु सुदाना, कॉफ स्टार्टर, फाडर ब्लाक एवं मिनरल मिक्सचर परिवहन की दरें परिवहनकर्ता द्वारा आनलाईन निर्धारित B.O.Q. में दिया जाना है

हमें/मुझे निविदा (टेण्डर) एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्ते मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूं। ये भाव पशु आहार संयंत्र पचामा (सीहोर) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पता